राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :—164/2018

मेहर चन्द

—अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, बीकानेर।
2. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जोन बीकानेर, बीकानेर।
3. निदेशक, निदेशालय पेंशन एवं पेंशन कल्याण, राजस्थान सरकार, ज्योति नगर, जयपुर।
4. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, राजस्थान सरकार, पंचायत समिति, नोहर, जिला हनुमानगढ।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक	:	12.02.2018
आदेश की दिनांक	:	04.12.2024

उपस्थिति :—

अपीलार्थी की ओर से	: श्री अजय खाण्डल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से	: श्री सुरेश कुमार अग्रवाल, प्रभारी अधिकारी

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. इस अपील में प्रत्यर्थी विभाग की ओर से यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी के संबंध में जो ग्रेड—पे परिवर्तित कर ग्रेड—पे 4200 की गई थी, उस आदेश को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रत्याहरित किया जा चुका है। ऐसे में अपीलार्थी को ग्रेड—पे 4800 पूर्व में देय थी, वही ग्रेड—पे वर्तमान में अपीलार्थी को दी जा रही है।
2. प्रत्यर्थी विभाग के उपरोक्त कथन के आधार पर यह अपील सारहीन हो जाती है। अतः यह अपील सारहीन हो जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा) सदस्य	(अनन्त भंडारी) सदस्य (न्यायिक)